न्यायालय: – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. (आप.प्रक.कमांक :- 221 / 2017) (संस्थित दिनांक :- 05 / 06 / 2017)

> म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर। जिला-भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

रामेश्वर जाटव पुत्र सीताराम जाटव, उम्र 47 वर्ष। 01. निवासी: – ग्राम नौनेरा, थाना–मालनपुर, जिला–भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभुयक्त।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 30/01/2018 को घोषित)

- अभियुक्त रामेश्वर पर भा.द.सं. की धारा 294, 324 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 08/05/2017 की दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी उषा देवी का मकान स्थित ग्राम नौनेरा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी उषा देवी को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी उषा देवी की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की एवं फरियादी उषा देवी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है। 02.
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 08/05/2017 की दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी उषा देवी का मकान स्थित ग्राम नौनेरा में. आरोपी रामेश्वर द्वारा फरियादी उषा देवी से गाली-गलौच करने, उसकी घातक आयुध सरिया से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी उषा देवी द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर में आरोपी रामेश्वर के विरूद्ध की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 76/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी रामेश्वर से एक लोहे का हिसया जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी उषा देवी, साक्षीगण निशान्त, भूपाल एवं रविन्द्र के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र

न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त रामेश्वर के विरूद्ध धारा 294, 324 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
- 01. क्या आरोपी रामेश्वर ने दिनांक :— 08 / 05 / 2017 की दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी उषा देवी का मकान स्थित ग्राम नौनेरा में, फरियादी उषा देवी की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी उषा देवी अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी रामेश्वर पुत्र सीताराम जाटव को जानती है, वह उसका पति है। साक्षी आगे कहती है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 27/01/2018 से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर दोपहर के समय की है। उस समय उसका पति आरोपी रामेश्वर से घरेलू काम–काज को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसके पति रामेश्वर ने उसे गालियाँ देकर दो थप्पड़ मार दिये थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है। पुलिस ने मौके पर आंकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ६ गोषित कर सचक प्रश्न पुछे जाने पर भी फरियादी उषा देवी अ.सा.०१ ने आरोपी रामेश्वर द्वारा दिनांक : 08 / 05 / 2017 की दोपहर लगभग 01:00 बजे उसके मकान स्थित ग्राम नौनेरा में, उसे घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहृति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत फरियादी उषा देवी अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आरोपी एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी उषा देवी अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रामेश्वर ने दिनांक :— 08/05/2017 की दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी उषा देवी का मकान स्थित ग्राम नौनेरा में, फरियादी उषा देवी की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहित कारित की।
- 09. अभियोजन आरोपी रामेश्वर के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. प्रकरण में आरोपी रामेश्वर से जब्तशुदा एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अविध पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद